रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल, 6, 1972/चैत्र 17, 1894
No. 110] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 1972/CHAITRA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 6th April 1972

G.S.R. 239(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2), read with clause (h) of sub-rule (3), of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of Jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule shall be purchased or sold during the month of April, 1972.

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) of column (3) of the Second Schedule appended to this Order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the said Second Schedule.

Provided further that the price specified in this Order is liable to be revised and finally fixed at such rate as the Tariff Commission recommends and the price so finally fixed shall be the price at which the supplier is entitled to be paid for deliveries made in the month.

Explanation.—For the purposes of this Order, the price specified in the First or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute textiles which may be exported during the period specified in paragraph 1 pursuant to any contract entered into before the commencement of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

Sl. No.	Category of jute bag	Minimum ex-factory price
(1)	(2)	(3)
1.	Standard B. Twill bags of the size 44" × 26½" weight 2¼ lbs. per bag, 6×8, 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS : 2566-1965 as amended up-to-date) .	Rs. 225·86 per 100 bags.
2.	DW Flour Bags 44" × 28" HD weight in proportion 56"×28" HD, 2½ lbs. per bag 7×9 or 8×8 plain, Dry Sewn. . .	Rs. 202·78 per 100 bags.

THE SECOND SCHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in the price per 100 bags	
	Warp way	Waft way.
(1)	(2)	(3)
ISI Standard Breaking strength	160 Kg.	165 Kg.
	Rs.	Rs.
160. . . .	..	0·55
155. . . .	0·39	1.02
150. . . .	1·06	1·50
145. . . .	1·62	2·11
140. . . .	2·24	3·42
135. . . .	2·86	4·27
130. . . .	3·42	..

[No. 18012/1/71-Tex(D).]

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 6 अप्रैल, 1972

जी०एस०आर० 239(अ).– भारत रक्षा नियम 1971 के नियम 114 के उपनियम (3) के खण्ड (एच) के साथ पठित उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ऐसी राय होने पर कि समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई और तत्संम्बन्धी सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से और पटसन वस्त्रों के न्यायोचित वितरण और उचित मूल्यों पर

उसकी उपलब्धि के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित है, एतद्द्वारा इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित मूल्य ऐसे अधिकतम एक्स फैक्टरी मूल्य के रूप में निश्चित करती है, जिस पर उक्त अनुसूची के कालम 2 की तदनरूप प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्में अप्रैल, 1972 के मास में खरीदी या बेची जाएंगी ।

परन्तु इस आदेश के संलग्न प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 1 में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म के बारे में इस प्रकार से निश्चित किये गये मूल्य को, इस आदेश से संलग्न द्वितीय अनुसूची के कालम (1) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (ब्रकिंग स्ट्रेंथ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम (2) या कालम (3) में बतायी गई सीमा तक घटाया जायेगा ।

परन्तु आगे इस आदेश में निर्दिष्ट कीमत संशोधित की जा सकती है और अंत में ऐसी दर पर निर्धारित की जाएगी जिसकी टैरिफ आयोग सिफारिश करे तथा इस प्रकार अंतिम रूप निर्धारित कीमत वह कीमत होगी जिस पर संभरक को अप्रैल, 1972 में सुपुर्दगियों के लिए भुगतान प्राप्त करने का हक है ।

स्पष्टीकरण:—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, इस आदेश से संलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्यों में उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं है, जिन्हें खरीदार को ही, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, एक्स-फैक्टरी मूल्य के अतिरिक्त अदा करना होगा ।

2. इस आदेश में दी हुई कोई भी बात पटसन वस्त्रों की ऐसी किसी भी मात्रा पर लागू नहीं होगी, जो इस आदेश के लागू होने से पहले किये गये किसी भी ठेके के अनुसरण में पैरा 1 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्यात की गई हो ।

प्रथम अनुसूची

क्रम सं०	पटसन के बोरों का दर्जा	अधिकतम एक्स फैक्टरी मूल्य
(1)	(2)	(3)
1.	स्टैंडर्ड बी ट्विल बोर-साइज 44 × 26½" वजन 2½ पौंड प्रति बोरा 6 × 8,3 बल्यू, खुश्क सिला हुआ और शेष सभी प्रकार से वर्तमान आई० एस० आई० की विशिष्टियों के अनुरूप हों (संख्या आई० एस०: 2566–1965 अद्यतन यथा संशोधित)।	225.86 रुपये प्रति 100 बोरे
2.	डी० डब्ल्यू० आटे के बोरे 44 × 28" एच० डी० अनुपात के अनुसार वजन 56 × 28" एच डी० 2½ पौंड प्रति बोरा, 7 × 9 या 8 × 8 सादा, खुश्क सिला हुआ ।	202.78 रुपये प्रति 100 बोरे

द्वितीय अनुसूची

धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ)	प्रति 100 बोरा के मूल्य में कमी (बाने में)	
1	2	3
आई० एस० एस० स्टैंडर्ड (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ)	160 किलोग्राम रुपये	165 किलोग्राम रुपये
160	—	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	—

[सं० 18012/1/71-टैक्स(डी)]

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972